

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या -1577 / 2009 / बूंदी.

2. अपील संख्या - 295 / 2010 / बूंदी.

मैसर्स यूनिवर्सल ओवरसीज एण्ड स्टोन कं०., बुधपुरा, कोटा. ....अपीलार्थी.

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत्त-तृतीय, कोटा. ....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री मनोहर पुरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री वी. के. पारीक, अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री अनिल पोखरणा,  
उप-राजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.


निर्णय दिनांक : 14 / 12 / 2015

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा ये दोनों अपीलें उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, कोटा/अजमेर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के अपील संख्या क्रमशः 2/वैट/2009-10/बूंदी में पारित किये गये आदेश दिनांक 15.09.2009 एवं 2/वैट/2009-10/बूंदी में पारित किये गये आदेश दिनांक 21.01.2010 के विरुद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वैट अधिनियम' कहा गया है) की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई हैं। अपीलीय अधिकारियों ने उक्त आदेशों से वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत्त-तृतीय, कोटा (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) के अपीलार्थी के वर्ष 2006-07 व 2007-08 के लिये पारित किये गये आदेश क्रमशः दिनांक 30.03.2009 व 11.08.2009 की पुष्टि की है।

2. दोनों अपीलों में पक्षकार एवं विवाद्य बिन्दु समान होने से दोनों अपीलों का निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक-पृथक रखी जा रही है।

3. प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा आलौच्य अवधियों वर्ष 2006-07 व 2007-08 के दौरान सेन्ड स्टोन के उत्खनन हेतु प्रयुक्त कन्ज्यूमेबल आईटम्स की खरीद पर चुकाये गये वैट के पेटे क्रमशः रूपये 2,80,519/- व रूपये 6,06,363/- का आई.टी.सी. चाहा गया था, जिसे कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अस्वीकार कर दिये जाने से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गयी अपीलें अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेशों से अस्वीकार की गयीं। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेशों से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा ये द्वितीय अपीलें प्रस्तुत की गयी हैं।



लगातार.....2

4. बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी का कथन है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा विनिर्माण की प्रक्रिया में प्रयुक्त केपिटल गुड्स पर क्लेम किये गये आई.टी.सी. को अस्वीकार किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है। वेट अधिनियम की धारा 2(22) में दी गयी मैन्यूफैक्चर की परिभाषा के अनुसार वेट अधिनियम की धारा 18(1)(जी) के तहत अपीलार्थी व्यवहारी कन्ज्यूमेबल आईटम्स पर आई.टी.सी. क्लेम करने का अधिकारी है। अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर क्लेम अस्वीकार करने में भूल की गई है। अग्रिम कथन किया गया कि अपीलीय अधिकारी द्वारा भी प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों पर समुचित रूप से विचार किये बिना कर निर्धारण अधिकारी के आदेशों की पुष्टि करने में विधिक भूल की गई है। उक्त कथन के साथ विद्वान अभिभाषक ने अपीलार्थी की अपीलें स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया।

5. बहस के दौरान विद्वान उप राजकीय अभिभाषक द्वारा कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुए कथन किया गया कि किसी व्यवहारी को अधिनियम की धारा 18 के प्रावधानों के तहत आगत कर क्लेम तभी देय है, जब राज्य के पंजीकृत व्यवहारी से करयोग्य माल खरीद कर उससे नवीन वस्तु का निर्माण कर पुनः कर योग्य माल के रूप में विक्रय करता है अथवा कोई वस्तु कच्चे माल के रूप में खरीद कर उससे निर्मित नयी वस्तु राज्य/अन्तर्राष्ट्रीय विक्रय/निर्यात करता है अथवा कर योग्य माल खरीद कर राज्य में केपिटल गुड्स के रूप में उपयोग किया जाता है। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा क्रय किये गये कन्ज्यूमेबल आईटम्स का उपयोग उत्खनन में किया गया है, इस प्रकार इससे कोई पृथक व विशिष्ट वस्तु का निर्माण किया जाकर पुनर्विक्रय नहीं किया गया है। विवादित माल कन्ज्यूमेबल आईटम्स हैं, जो उत्खनन की प्रक्रिया के दौरान समाप्त हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में इन्हें प्लांट एवं मशीनरी की श्रेणी में मानते हुए भी अधिनियम की धारा 18 के तहत इन पर चुकाये गये वेट का आई.टी.सी. अनुज्ञात नहीं किया जा सकता। इस प्रकार कर निर्धारण अधिकारी के आदेश पूर्णतः विधिसम्मत एवं न्यायोचित है तथा अपीलीय अधिकारी ने भी कर निर्धारण अधिकारी के आदेशों की पुष्टि करते हुए अपीलार्थी की अपीलें अस्वीकार करने में कोई विधिक भूल नहीं की है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने अपीलार्थी की अपीलें अस्वीकार करने का अनुरोध किया।

6. उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावलियों का अवलोकन किया गया।



7. अपीलार्थी द्वारा आलौच्य अवधियों के दौरान खानों से पत्थर निकालने हेतु कन्ज्यूमेबल आईटम्स (एक्स्प्लोजिव) का वेट चुकाकर क्रय किया गया है एवं उक्त माल का खनन प्रक्रिया में उपयोग किया गया है। अपीलीय अधिकारी ने विवादित आईटम पर आई.टी.सी. की देयता नहीं मानते हुए पारित किये गये कर निर्धारण आदेश दिनांक क्रमशः 30.03.2009 व 11.08.2009 द्वारा व्यवहारी द्वारा क्लेम किये गये आगत कर को अस्वीकार किया गया है। इस सम्बन्ध में वेट अधिनियम की धारा 18(1) का अवलोकन किया जाना समीचीन होगा :-

#### 18. Input Tax Credit. -

(1) Input tax credit shall be allowed, to registered dealers, other than the dealers covered by sub-section (2) of section 3 or section 5, in respect of purchase of any taxable goods made within the State from a registered dealer, to the extent and in such manner as may be prescribed, for the purpose of -

- (a) sale within the State of Rajasthan; or
- (b) sale in the course of inter-State trade and commerce; or
- (c) sale in the course of export outside the territory of India; or
- (d) being used as packing material of the goods, other than exempted goods, for sale; or
- (e) being used as raw material, except those as may be notified by the State Government, in the manufacture of goods other than exempted goods, for sale within the State or in the course of inter-State trade or commerce; or
- (f) being used as packing material of goods or as raw material in manufacture of goods for sale in the course of export outside the territory of India; or
- (g) being used in the State as capital goods; however, if the goods purchased are used partly for the purposes specified in this sub-section and partly as otherwise, input tax credit shall be allowed proportionate to the extent they are used for the purposes specified in this sub-section.

8. अधिनियम की धारा 18(1) के उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार व्यवहारी द्वारा कर चुकाकर कच्चे माल के रूप में क्रय किये गये माल का विनिर्माण की प्रक्रिया के दौरान नवीन वस्तु का निर्माण कर, कर योग्य माल के रूप में विक्रय किये जाने की स्थिति में ही चुकाये गये वेट का आई.टी.सी. अनुज्ञेय किया गया है। उक्त प्रावधानों से यह स्पष्ट है कि खनन प्रक्रिया में प्रयुक्त कन्ज्यूमेबल आईटम्स पर चुकाये गये वेट का आई.टी.सी. अनुज्ञेय नहीं होगा। इस सम्बन्ध में कॅपीटल गुड्स की परिभाषा अधिनियम की धारा 2(7) स्पष्ट है :-



2(7) - "capital goods" means plant and machinery including parts and accessories thereof, meant for use in manufacture unless otherwise notified by the State Government from time to time in the Official Gazette;


**Explanation-**For removal of doubts, it is hereby clarified that "capital goods" do not include any equipments or appliances used in an office of a dealer or used in execution of works contract.

9. वर्तमान प्रकरणों में अपीलार्थी द्वारा क्रय किये गये विवादित माल का कर योग्य माल के रूप में पुनर्विक्रय किया जाना भी नहीं पाया जाता है तथा माल केपिटल गुड्स की श्रेणी में नहीं आना पाया जाता है। प्रकरण की उपरोक्त परिस्थिति एवं विधिक प्रावधानों के आलोक में अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा क्रय किये गये माल पर चुकाये गये वेट का आई.टी.सी. अनुज्ञेय नहीं होने से कर निर्धारण अधिकारी द्वारा इस सीमा तक अपीलार्थी व्यवहारी का आई.टी.सी. अस्वीकार किये जाने में एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के आदेशों की पुष्टि किये जाने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गयी है।

10. माननीय राजस्थान कर बोर्ड के न्यायिक दृष्टान्त अपील संख्या 2131/2011 मैसर्स मंगलम मार्बल्स प्रा0 लि0 व अपील संख्या 2132/2011/ चित्तौड़गढ़ मैसर्स फोरमोस्ट मार्बल्स प्रा0 लि0, चित्तौड़गढ़ बनाम उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, उदयपुर में पारित निर्णय दिनांक 11.01.2013 तथा अपील संख्या 1546/2012/उदयपुर मैसर्स वर्द्धमान टाईल्स प्रा0 लिमिटेड, 35, पोलोग्राउण्ड, उदयपुर बनाम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वार्ड-IV, वृत्त-सी, उदयपुर में पारित निर्णय दिनांक 28.02.2013 में भी कन्ज्यूमेबल्स को केपिटल गुड्स की श्रेणी में नहीं मानते हुए आई.टी.सी. अनुज्ञेय नहीं माना गया है।

11. परिणामस्वरूप अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत दोनों अपीलें अस्वीकार की जाती हैं तथा अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश क्रमशः दिनांक 15.09.2009 व 21.01.2010 की पुष्टि की जाती है।

12. निर्णय सुनाया गया।



( मनोहर पुरी )  
सदस्य